छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 13–6/2013/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 10/6/2013
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

विषयः– अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए आय सीमा में वृद्धि।

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र क.एफ 9–3/2001/1–3, दिनांक 24.06.2009.

-----:::-----

अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में से सम्पन्न वर्गों का निर्धारण करने के लिए इस विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा पूर्व निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू. 2.00 लाख को बढ़ाकर रू. 4.50 लाख किया गया है।

2/ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 36033/1/2013–Estt.(Res.) दिनांक 27 मई, 2013 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने हेतु आय सीमा को रू. 4.5 लाख को बढ़ाकर रू. 6 लाख कर दिया गया है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में सम्पन्न वर्ग (ओ.बी.सी.) में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के निर्धारण हेतु वर्तमान में निर्धारित वार्षिक आय सीमा रू. 4.5 लाख को बढ़ाकर रू. 6 लाख किया जाए।

4/ अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 7–16/2000/आ.प्र./एक,दिनांक 06.07.2000 एवं सहपठित परिपत्र क्र.एफ 9–3/2001/1–3, दिनांक 24.06.2009 में अनुसूची के क्रमांक 6 आय/सम्पत्ति आंकलन के समक्ष कॉलम (3) में भाग (क) में उल्लिखित राशि **4.50 लाख रूपये** (रूपये चार लाख पचास हजार) **के स्थान पर** राशि **6 लाख रूपये** (रूपये छः लाख) **प्रतिस्थापित करता है।**

5/ उपरोक्त संशोधन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से लागू माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

....2

पृ. क्रमांक एफ 13–6/2013/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 10/6/2013

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाईट रायपुर।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, त्रिकूट–1 भीकाजी काम्पलेक्स, नई दिल्ली,
5. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग.।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर।
8. समस्त मान. मंत्रीगण/मान. राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव/निज सचिव/निज सहायक,छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
14. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/समस्त अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर।
15. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
16. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली।
17. आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर।
18. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
19. कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
20. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।
21 अवर सचिव(स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय,नया रायपुर।
22. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष–9) सामान्य प्रशासन विभाग को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित।
23. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

10/6/13

(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

10/6/13